फर्द अहकाम

सुधाराम बनाम सु.रेखा वगैरह

न्यायालय

केस संख्या

धा13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/9/24	व.का. उप पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 7/10/24 को पेश हो। [signature]	
	7/10/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/10/24 को पेश हो। [signature]	
	25/10/24	व.का. उप पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 21/11/24 को पेश हो। [signature]	[signature]
	21/11/24	व.का. उप पत्रावली के तामील कायम नहीं किये जाकर [illegible] ... अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का धा13 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर [illegible] डिक्री किया जाता है [illegible] डिक्री पर्चा [illegible] पत्रावली [illegible] [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–39/2023
उनवान– झूंथाराम बनाम सुरेश
निर्णय दिनांक– 21.11.2024

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–39/2023

उनवान

झूंथाराम पुत्र गोमाराम, जाति अहीर, निवासी ढाणी सोलठा वाली (बराला बाढ), ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. सुरेश पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
2. मुकेश पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
3. राजेन्द्र पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी सोलठा वाली (बराला बाढ) ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
5. नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–21.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि में भूमि खाता संख्या में वर्णित खसरा नम्बर 5045/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 5046/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 5047/1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 5048/3 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5073 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 5074 रकबा 0.39 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.95 है0 स्थित है जो सम्पूर्ण ही वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियां ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित भूमियां है। वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के पश्चिमी दिशा की ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 5042, 5043, 5044, 5045/2, 5046/2, 2048/2 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.61 है0 स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये दिन वादी की भूमि की सींव डोल में छेड़छाड़ करते रहते है तथा वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है। बिना [illegible] करवाये ही वादी की भूमि पर जबरिया अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है, वादी [illegible] सुरक्षार्थ खातेदारी भूमि की बनी हुई सींव डोल को तोडकर आवारा पशुओं को वादी की खातेदारी भूमि में प्रवेश करवाकर नुकसान कारित करवाते है तथा वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि की सींव डोल बना रखी है तथा वर्तमान समय में बाजरे की फसल काश्त कर रखी हैं। विवादित आराजीयात का काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी की भूमि की पश्चिमी दिशा की ओर से पडौसी खातेदार है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये दिन वादी की भूमि में से जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव डोल को तोडते रहते है तथा वादी की फसल को आवारा पशुओं से नुकसान कारित करते रहते है एवं विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में जबरिया व्यवधान कारित करती है तथा वादी की भूमि पर जबरिया निर्माण कार्य कर वादी की भूमि को हडप कर जाना चाहते है इसी विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी को दिनांक 14.06.2023 को दोपहर में हाथों में लाठी, फावडा, ट्रेक्टर आदि लेकर एकराय होकर आये जबरिया वादी की भूमि में बिना सीमाज्ञान हुए बुवाई जुताई करने लगे जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उग्र हो गये तथा वादी को ऐलानियां धमकी देकर कहा गया कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे और वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा इसके पश्चात् वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को पाबन्द करवाने बाबत् धारा 107, 116(3) सीआर.पी.सी. तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर पाबन्द किया गया है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी को जबरन विवादित भूमियों से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जिस कारण वाद वादी श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 795 में वर्णित खसरा नम्बर 5045/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 5046/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर [illegible]/1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 5048/3 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5073 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 5074 रकबा 0.39 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.95 है0 के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही वादी की भूमियों की सींव डोल तोड–फोड करें, ना ही आवारा पशुओं को प्रवेश करवायें, ना ही बुवाई जुताई में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व्यवधान कारित करें ना ही फसल को नुकसान कारित करें, ना ही जबरन वादी की भूमियों में बिना सीमाज्ञान करवाये बुवाई जुताई करें, ना ही वदा की भूमि में जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के उक्त कृत्यों में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि जो कि वादीगण के लगवा है जिसमें आने जाने के लिए व काश्त करने के लिए वादी की भूमि से होकर ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आते जाते है जिस रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए वादी द्वारा उक्त झूठा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अरसे दराज पूर्व ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 तो कि वादी के सगे भतीजे है उनके पिता मालीराम उर्फ माल्या के मध्य सहमति से उक्त भूमि का तकासमा हुआ था जिसमें वादी की जमीन से होकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि पर आवागमन के रास्ते के लिए मौखिक सहमति हुई भी जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि पर काश्त करने के लिए व आने जाने के लिए वादी की भूमि से रास्ता रखा गया था चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वादी अनावश्यक रुप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उक्त झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे खारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यकीय है।

पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 795 में वर्णित खसरा नम्बर 5045/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 5046/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 5047/1 रकबा 0.30 है0, खसरा [illegible] 50[illegible]3 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5073 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 5074 रकबा [illegible] है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खे[illegible]ली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–39/2023
उनवान– झूंथाराम बनाम सुरेश
निर्णय दिनांक– 21.11.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–39/2023

उनवान

झूंथाराम पुत्र गोमाराम, जाति अहीर, निवासी ढाणी सोलठा वाली (बराला बाढ), ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. सुरेश पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
2. मुकेश पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
3. राजेन्द्र पुत्र माल्या उर्फ मालीराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी सोलठा वाली (बराला बाढ) ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
5. नायब तहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं0:–39/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 795 में वर्णित खसरा नम्बर 5045/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 5046/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 5047/1 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 5048/3 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 5073 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 5074 रकबा 0.39 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर का [illegible] करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करें। साथ [illegible] प्रतिवादीगण को इस बाबत् सख्त पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–39/2023
उनवान– झूथाराम बनाम सुरेश
निर्णय दिनांक– 21.11.2024

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 21.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.........

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner